

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

स्वी०संख्या-4/यो०ब०-47/2015 व०प० राँची, दिनांक- 30.03.2015

प्रेषक,

ए० के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनांतर्गत 'वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण' योजना के अधीन कुल 278.00 लाख (दो करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य-योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-300 दिनांक-30.03.2015

महाराज,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 में कार्यान्वित की जानेवाली 'वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण' के अंतर्गत कुल ले० 300.00 लाख (तीन करोड़) रुपये मात्र की राशि का बजट उल्लेख संसूचित है।

2. 'वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण' वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नई योजना है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत राज्य में 01 राष्ट्रीय उद्यान, 01 राज्य परियोजना तथा 11 वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव बस कर रहे हैं। अक्सर वनों से वन्यजीवों के अद्वैत शिकार के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। ऐसी स्थिति में वन्य जीव अपराध नियंत्रण हेतु खुफिया तंत्र के माध्यम से सूचना एकत्र करना, सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करना वन्यप्राणी अपराध से सम्बंधित ऑकड़ें (Data Base) संकलित करना ताकि वन्यजीवों के अंगों के अद्वैत व्यापार रोकने में प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके। इस योजना अंतर्गत वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को वन्यजीव अपराध से संबंधित मामलों की पहचान, अनुसंधान एवं अभियोजन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं उन समुदायों विशेषकर स्कूल-छात्रावासों को वन्यजीव अपराध के संबंध में जागरूक किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनांतर्गत 'वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण' योजना के अधीन कुल 278.00 लाख (दो करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य-योजना (परिशिष्ट-1) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत राशि का बजट विभाग द्वारा प्रस्तावित गण-निर्देशिका में निहित प्रावधान से अश्वचित होगा।

4. स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुश्रीषण्वर/ इकाईवार राशि की विवरण निम्न प्रकार है-

शीर्ष का नाम	इकाई	विषय कोड	बजटीय उपबंध (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
मुख्य शीर्ष 3406-वनिकी तथा अन्य प्राणी वन-मुख्य शीर्ष 1-वनिकी, लघु शीर्ष 01-वन संरक्षण, विकास तथा संयोजन, उप शीर्ष 15-वन प्राणी अपराध नियंत्रण	मजदूरी	19P240601101450103	120.00	120.00
	आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101450323	180.00	158.00
कुल स्वीकृत राशि- दो करोड़ अठहत्तर लाख रुपये मात्र			300.00	278.00

6. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-1 में अंकित विवरण के अनुसार होंगे, राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

8. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

- इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनातर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रण पदाधिकारियों एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक/ मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुकूलन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।

8 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास द्वारा इस योजनातर्गत राशि का उप आवंटन बजट उपबंध में स्वीकृत राशि के अन्तर्गत हो सनिता रखा जायेगा।

9. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 18.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग पत्रांक-2581, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से इन आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।

11. राशि की निकासी संबंधित जिले में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम - 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसूचना से कम नहीं हो।

14. मजदूरी का भुगतान क्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी नए में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. निर्यंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह जिम्मेवारी रहेगी अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग का दुरंत देंगे।

16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा इन एवं पर्यावरण विभाग के सकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

17. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किए जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के निर्यंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (IID) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से करना सुनिश्चित किया जायेगा।

19. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रक-3542 दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

20. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सम्मन्वय विभाग झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आश्रय में प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासनाजन

(ए० के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक -4/यो०ब०-47/2015

व०प०/रांची, दिनांक-30.10.2015

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, रांची, / विकास आयुक्त, झारखंड रांची / योजना-सह-वित्त वेमन, झारखंड, रांची / सूचना, प्रशासिक एवं ई-गवर्नेंस विभाग झारखंड, रांची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड, रांची / अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखंड, रांची / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / आंतरिक वित्त कोषांग एवं वित्तीय बजट शाखा तथा अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, वन, जवाहर एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (विभाग) एवं वेबसाइट पर अपलोड करने के निमित्त को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक -4/यो०ब०-47/2015

व०प०/रांची, दिनांक-30.10.2015

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषांग पदाधिकारी को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

द्वितीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली "गन्त प्राणी उपस्था निमज्जा" योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मौलिक एवं विधीय तद्वय

क्र.सं.	निकासी एवं व्यवस्थापिका	विषय	प्रस्तावित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	वन प्रणवट	केन्द्रीय प्रकोष्ठ का मान (पुष्पात्म्य रतन घर) (Constitution of Central Force)	15,000	9,800	5,120	15,000
2	वन प्रणवट	कम्प्यूटर रम की स्थापना/जोर्नीदार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रतार मल तकनीकी विभाग, System analyst, चौकीदार, आदेशवात आदि का मानदेय				0,000
3	वन प्रणवट	केन्द्रीय प्रकोष्ठ हेतु साहज का कम	10,000	0,000	10,000	10,000
4	वन प्रणवट	अनुनिष्ठा रमों का कम कम्प्यूटर, कलर प्रिन्टर, फैन, LED 52" D.V.O., LCD Projector screen संसार उपकरण, जीपीएस सिस्टम, सॉफ्टवेयर विकास / अन्य इत्यादि	2,140	2,140	0,000	2,140
5	वन प्रणवट	गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering) केन्द्रीय प्रकोष्ठ हेतु				
6	वन प्रणवट	क्षमता विकास (Capacity Building)	7,000	2,000	5,000	7,000
7	वन प्रणवट	वन विभाग, पुर्नित विभाग, रन विभाग, एवं परिहार, एमएलए ऑफिसों के पदाधिकारियों/मुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	1,370	0,000	1,370	1,370
8	वन प्रणवट	निगरानी (Surveillance)	35,510	14,020	21,490	35,510
9	वन प्रणवट	वन प्राणी आश्रयों के मुख्य द्वार पर CCTV एवं मोनीटर का कम				
10	वन प्रणवट	यौग	6,000	4,000	2,000	6,000
11	वन प्रणवट	उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन				
12	वन प्रणवट	उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना/जोर्नीदार कम्प्यूटर इत्यादि का कम, कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय इत्यादि				
13	वन प्रणवट	प्रहार बल (Striking Force)	9,000	9,000	0,000	9,000
14	वन प्रणवट	सोसाइटी / तकनीकी विशेषज्ञ/अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि	2,140	2,140	0,000	2,140
15	वन प्रणवट	गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	9,094	0,000	9,094	9,094
16	वन प्रणवट	रेस्क्यू किने गये वन्य प्राणियों के रक्षक (keeper of rescued animals)				
17	वन प्रणवट	रेस्क्यू कार्य, ट्रेनिंग/प्रशिक्षण गये वन्य, अत्यधिक दवाईयों, ड्रग फीजर आदि				
18	वन प्रणवट	निगरानी (Surveillance)	1,840	0,000	1,840	1,840
19	वन प्रणवट	नार्ड विजन कैमरा, नार्ड विजन बायोमेट्रिक, अत्याधुनिक संसार उपकरण	28,074	15,140	12,934	28,074
20	वन प्रणवट	यौग				
21	वन प्रणवट	उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन	6,000	4,000	2,000	6,000
22	वन प्रणवट	उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना/जोर्नीदार, कम्प्यूटर इत्यादि का कम, कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय इत्यादि				

4-10-68

क्रम	निकासी एवं व्यवस्थापक पदाधिकारी	विवरण	प्रकल्पित शीर्ष	प्रकल्पित शीर्ष	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
2		प्रहार बल (Striking Force)				
1		होमगार्ड / तकनीकी विशेषज्ञ / अन्य कर्मचारियों का मानदण्ड इत्यादि	9,000	9,000	0.000	9,000
3		गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	2,140	2,140	0.000	2,140
4		रेस्क्यू किट्स एवं अन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)				0.000
1		रेस्क्यू कार्य, ट्रेनिंग/संरक्षण एवं खर्च, आवश्यक दवाइयों, शीप फीडर आदि	9,094	0.000	9,094	9,094
5		निगरानी (Surveillance)				
1		नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन बायोमिटर, अल्ट्रासोनिक सेंसर उपकरण	1,860	0.000	1,860	1,860
		योग	28,094	15,140	12,954	28,094
1	वन प्रबंधन पदाधिकारी, बीकार वन प्रबंधन	उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का यजन	6,000	4,000	2,000	6,000
1		उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना / जीर्णोद्धार, कंप्यूटर इत्यादि का क्रय, कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदण्ड इत्यादि				
2		प्रहार बल (Striking Force)				
1		होमगार्ड / तकनीकी विशेषज्ञ / अन्य कर्मचारियों का मानदण्ड इत्यादि	9,000	9,000	0.000	9,000
3		गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	2,140	2,140	0.000	2,140
4		रेस्क्यू किट्स एवं अन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)				
1		रेस्क्यू कार्य, ट्रेनिंग/संरक्षण एवं खर्च, आवश्यक दवाइयों, शीप फीडर आदि	9,094	0.000	9,094	9,094
5		निगरानी (Surveillance)				
1		नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन बायोमिटर, अल्ट्रासोनिक सेंसर उपकरण	2,860	0.000	2,860	2,860
		योग	29,094	15,140	13,954	29,094
1	वन प्रबंधन पदाधिकारी, हजारीबाग वन प्रबंधन	उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का यजन				
1		उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना / जीर्णोद्धार, कंप्यूटर इत्यादि का क्रय, कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदण्ड इत्यादि	6,000	4,000	2,000	6,000
2		प्रहार बल (Striking Force)				
1		होमगार्ड / तकनीकी विशेषज्ञ / अन्य कर्मचारियों का मानदण्ड इत्यादि	9,000	9,000	0.000	9,000
3		गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	2,140	2,140	0.000	2,140
4		रेस्क्यू किट्स एवं अन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)				
1		रेस्क्यू कार्य, ट्रेनिंग/संरक्षण एवं खर्च, आवश्यक दवाइयों, शीप फीडर आदि	9,094	0.000	9,094	9,094
5		निगरानी (Surveillance)				
1		नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन बायोमिटर, अल्ट्रासोनिक सेंसर उपकरण	1,860	0.000	1,860	1,860
		योग	28,094	15,140	12,954	28,094

अनुमोदित

25

क्रम	विकासी एवं व्यक्त पदाधिकारी	विवरणी	प्रस्तावित राशि	प्राप्त राशि	अनुपूरित एवं शेष	कुल
1	वन प्रभार पदाधिकारी	वन केन्द्रीय प्रभार (Sub-Central Cell) का वन उप केन्द्रीय प्रभार का स्थापना / कोर्नर डायरी का 300 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का वनारिय इत्यादि	6,000	4,000	2,000	6,000
2	मैदीनीनगर वन प्रभार	प्रभार बल (Striking Force) लेफ्टिनेंट / तकनीकी विशेषज्ञ / अन्य कर्मचारियों का वनारिय इत्यादि	9,000	9,000	0,000	9,000
3		गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	2,140	1,140	0,000	2,140
4		रेस्क्यू किये गये वन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)				
1		रेस्क्यू कार्य, ट्रेकिंग/सर्चिंग गन, डाई, आवश्यक दवाईयों, डीप फ्रीजर आदि	9,094	0,000	9,094	9,094
5		निगरानी (Surveillance)				
1		नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन थर्मोविज़न, अल्ट्रासोनिक सेंसर उपकरण	1,860	0,000	1,860	1,860
		योग	28,094	15,140	12,954	28,094
1	वन प्रभार पदाधिकारी, और परिचालन, पतामा	वन केन्द्रीय प्रभार (Sub-Central Cell) का वन उप केन्द्रीय प्रभार का स्थापना / कोर्नर डायरी का 300 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का वनारिय	6,000	4,000	2,000	6,000
2		प्रभार बल (Striking Force) लेफ्टिनेंट / तकनीकी विशेषज्ञ / अन्य कर्मचारियों का वनारिय इत्यादि	9,000	9,000	0,000	9,000
3		गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	2,140	2,140	0,000	2,140
4		रेस्क्यू किये गये वन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)				
1		रेस्क्यू कार्य, ट्रेकिंग/सर्चिंग गन, डाई, आवश्यक दवाईयों, डीप फ्रीजर आदि	9,094	0,000	9,094	9,094
5		निगरानी (Surveillance)				
1		नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन थर्मोविज़न, अल्ट्रासोनिक सेंसर उपकरण	1,860	0,000	1,860	1,860
		वन्य प्राणी आश्रयों के गुप्त हार पर CCTV एवं सीसीटीवी का अन्य	1,370	0,000	1,370	1,370
		वेतन मेमबल भर्तों के वन्यप्राणी एवं वनों की सुरक्षा हेतु Electronic Surveillance System की स्थापना	17,000	0,000	17,000	17,000
11		वीन डीन का अन्य	21,000	0,000	21,000	21,000
		योग	67,464	15,140	52,324	67,464


 13/05/20
 20.10.2020

क्रम	विकासी एवं व्यक्ति व्यवसायिकारी	विवरण	प्रकल्पित राशि	मंजूर राशि	अपूर्ति एवं तामगी	कुल
1	वन प्रभुपदल	सब केंद्रीय प्रलोचन (Sub-Central Cell) का गठन	6,000	4,000	2,000	6,000
1	पदाधिकारी, शांती वन प्रभुपदल	उप केंद्रीय प्रलोचन का स्थापना / जीर्णोद्धार, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय, कम्प्यूटर अप्रैटर का मन्देय इत्यादि				
2		प्रहार बल (Strike Force)	9,000	9,000	0,000	9,000
1		सोमपाट / तकनीकी विशेषज्ञ / अन्य कर्मचारियों का मन्देय इत्यादि	2,140	2,140	0,000	2,140
3		गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	9,094	0,000	9,094	9,094
4		सिन्धु किले गंगे वन प्राणियों के रक्ष रक्षाल (upkeep of rescued animals)				
1		रेस्क्यू किये गये वन्य प्राणियों का इलाज, आहार, आवास, दवाईयों की खर्च इत्यादि	1,864	0,000	1,864	1,864
5		रेस्क्यू किये गये वन्य प्राणियों का इलाज, आहार, आवास, दवाईयों की खर्च इत्यादि	28,094	15,140	12,954	28,094
1		निगरानी (Surveillance)				
1		नाइट विजन कैमरा, वाईट विजन बायोमैग्निफिकेशन, अल्ट्रासोनिक सेन्सर उपकरण				
1		योग				
1	वन प्रभुपदल पदाधिकारी, हजारीबाग वन्य प्राणी प्रभुपदल	निगरानी (Surveillance)	4,110	0,000	4,110	4,110
1		उप वन प्राणी आभयार्थी के भूखी द्वारा पर CCTV एवं सेंसर का क्रय	4,110	0,000	4,110	4,110
1		योग				
1	वन वन संरक्षक एवं क्षेत्र विदेशक गज परिवोजना, अमरसोदपुर	निगरानी (Surveillance)	1,370	0,000	1,370	1,370
1		वन प्राणी आभयार्थी के भूखी द्वारा पर CCTV एवं सेंसर का क्रय	1,370	0,000	1,370	1,370
1		योग				
1		कुल योग	278,000	120,000	158,000	278,000


 (एक करोड़ रुपये)
 सरकार के विशेष सचिव

10/12/2010
 2102 of 2010